क्रमांक **434**-ज-(I)-**81/24722**.—पूर्वी पंजाब युद्ध जागीर पुरुस्कार अधिनियम, 1948 जैसा कि उसे हरिया । राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल श्री जगमाल सिंह, पुत्र श्री भूरा सिंह, गाव नान्धा, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ को रबी, 1976 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **716**-ज(I)-**81/24726**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) कि धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल श्री अमर सिंह, पुत्र श्री पिरदान, गांव बारड़ा, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को खरीफ, 1976 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

दिनांक 20 जुलाई, 1981

क्रमांक **377**-ज(II)-**81/24946**.—श्री बिरखा राम, पुत्र श्री गुलाब सिंह, गांव भैंसरु खुर्द, तहसील व जिला रोहतक की दिनांक 23 नवम्बर, 1980 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री बिरखाराम की मुब्लिक 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1861-ज(II)-80/40199, दिनांक 13 नवम्बर, 1980 द्वारा मंजूर की गयी थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सरजो के नाम खरीफ 1981 से दिनांक 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तगर्त प्रदान करते हैं।

क्रमांक **876**-ज(I)-**81/25010**.—श्री राम, पुत्र श्री राम नारायण गांव नन्द, तहसील व जिला भिवानी की दिनांक 24 दिसम्बर, 1978 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम, को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2417-आर-III-66/4792, दिनांक 26 मार्च, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती पारबती के नाम खरीफ 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तगर्त प्रदान करते हैं।

क्रमांक **282**-ज(I)-**81/25014**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल श्रीमति धर्मकौर विधवा श्री जगत सिंह, गांव खान अहमदपुर, तहसील व जिला अम्बाला को रबी, 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **465**-ज(I)-**81/25018**.—श्री दयाल सिंह, पुत्र श्री सत्या सिंह, गांव बड़ी रमोर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला की दिनांक 16 फरवरी, 1977 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 1(3) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दयाल सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 342-र-4-66/1005, दिनांक 10 अप्रैल, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III 70/29505 दिनांक, 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती केसर कौर के नाम खरीफ 1977 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तगर्त प्रदान करते हैं।

क्रमांक **446**-ज(I)-**81/25022**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री रामजी लाल, पुत्र श्री कालू गांव सैदपुर, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को खरीफ 1965 से रबी, 1976 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।